राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1153, 1154, 1155, 1156 व 1157 / 2017...............जिला – जयपुर.....................................

उनवान : मैसर्स पिंकसिटी बिल्डकोम प्रा0 लिमिटेड, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>खण्डपीठ</u>

<u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u>

<u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u>

22 / 08 / 2017

अपीलार्थी द्वारा ये पाँच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः एस–100, एस–101, एस–102, एस–103 व एस–104 / AA-I / Stay / 17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.09.2016 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में अपने ग्राहकों से वसूल किये गये सर्विस टैक्स को विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं करते हुए सर्विस टैक्स पर कर वसूल नहीं किया गया है, जबकि सर्विस टैक्स की राशि पर विक्रय किये गये माल की दर अनुसार वैट की देयता बनती है। अतः सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के वेट अधिनियम की धारा 25 / 26, 61 व 55 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.06.2017 को पारित करते हुए सर्विस टैक्स की राशि पर तदनुसार कर, ब्याज व धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण निम्न तालिका अनुसार किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया जाकर; आरोपित कर व ब्याज की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में कर व ब्याज की बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

लगातार.............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1153, 1154, 1155, 1156 व 1157/2017................जिला – जयपुर.......................................

उनवान : मैसर्स पिंकसिटी बिल्डकोम प्रा0 लिमिटेड, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/08/2017

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
1153/17	2012–13	2,24,601	1,29,197	4,49,202	**3,42,568**
1154/17	2013–14	8,02,735	3,62,795	16,05,470	**11,25,330**
1155/17	2014–15	12,11,958	4,01,126	24,23,916	**12,13,084**
1156/17	2015–16	20,47,563	4,32,311	40,95,126	**24,79,874**
1157/17	2016–17 (29.9.16 तक)	10,52,660	1,49,020	21,05,320	**12,01,680**

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे. एन. शर्मा तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त पाया कि प्रकरण में सर्विस टैक्स की राशि पर कर आरोपणीयता पर विधि का बिन्दु विवादित होने से **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–6** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर